न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना

अपील संख्या 69/25(2025/136)

तारीख रज्जू– 19/02/25

1. राजूलाल पुत्र सुरज्या जाति गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बरनाला जिला सवाई माधोपुर।

–अपीलार्थी

बनाम

1. .सरकार जरिये तहसीलदार बरनाला ।

–रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 29.08.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बरनाला द्वारा मिसल संख्या 36/2024 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम गढी गोपालपुरा के आराजी खं0नं0 281,282 रकबा 0.25 है0, 0.06है0 कुल रकबा 0.31 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से तथा सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय विद्वान अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 09.01.2025 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को नोटिस दिया जाकर समुचित सुनवाई की गयी। जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपने बयान भी दर्ज करवाये है। उक्त बयानों में अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा हटा लिये जाने व मौके पर भूमि खाली पड़ी होने का कथन किया गया है, साथ ही मौके पर वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का स्वयं का कब्जा नहीं होने का कथन किया गया है। उक्त पत्रावली में मौजूद मौखिक साक्ष्य का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गहनता से अवलोकन नहीं कर मात्र पटवारी हल्का के बयान व पूर्ववर्ती रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने का दोषी मानते हुए आक्षेपित आदेश पारित किये जाने में भारी विधिक त्रुटि की गयी है जो अपखण्डित किये जाने योग्य है। उक्त आदेश पूर्णयता अवैध, त्रुटिपूर्ण व प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है व निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही पटवारी हल्का की नवीन रिपोर्ट दिनांक 28.07.2025 में अंकित किया है कि वर्तमान में उक्त अतिक्रमी द्वारा मौके से कब्जा हटा लिया है। अपीलार्थी पक्ष ने अपने साक्ष्य के रूप में एक शपथ पत्र इस आश्य का भी प्रस्तुत किया है कि उक्त वाद आरजीयात से कब्जा हटा लिया गया है, साथ ही अधिवक्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:58:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। पटवारी हल्का के बयान में भी स्वयं पटवारी हल्का ने अंकित किया है कि पटवार हल्का गढी गोपालपुरा के राजस्व ग्राम गढी गोपालपुरा में चरागाह भूमि खं0नं0 281,282 कुल रकबा 0.31 है0 में से अतिक्रमित राजूलाल पुत्र सुरज्या जाति गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा ने कब्जा (गेहूँ) कर अतिक्रमण कर रखा है। बिना किसी अधिकारिता के चरागाह भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। उक्त पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 26.11.24 को राजूलाल पुत्र सुरज्या के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जो सही है। इसके द्वारा पूर्व में भी इस भूमि पर कब्जा काश्त किये जाने पर 91 एलआरएक्ट के तहत कार्यवाही की जाकर बेदखल किया जा चुका है, अब पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया गया है, यदि उक्त अपील स्वीकार की जाती है तो अन्य व्यक्तियों को भी अतिक्रमण करने में बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है। ऐसी स्थिती में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि, अनियमितता होना प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.01.2025 यथावत रखा जाता हैं

निर्णय आज दिनांक 29/08/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
अति0 जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:53:31 IST
Reason: SelfAttested